शराब घोटाला • पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी वारंट

29 आबकारी अधिकारी नहीं आए कोर्ट, जमानती वारंट जारी

क्राइम रिपोर्टर | रायपुर

शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए तत्कालीन 29 आबकारी अधिकारी बुधवार को भी एसीबी-ईओडब्ल्यू के स्पेशल कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने सभी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

इस सुनवाई में सभी को उपस्थित होने का निर्देश दिए गए हैं। अगर दो माह बाद अगली पेशी में भी अधिकारी नहीं आएंगे तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा, जिसके बाद जांच एजेंसी कार्रवाई करेगी। इधर, आरोपी बनाए गए अधिकारी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। जानकारी के अनुसार नोहर सिंह ठाकुर, नीतू नोतानी, अरविंद पाटले, नवीन प्रताप तोमर, राजेश जायसवाल, विकास गोस्वामी, दिनकर वासनिक, अनिमेष नेताम, सौरभ बख्शी, मोहित जायसवाल, आशीष कोसम, गरीब पा[illegible], एके सिंह, प्रकाश पाल, [illegible] मिश्रा, नितिन खंडूजा, मजुश्री कसेर, वेदराम लहरे, एके अनंत, एलएल ध्रुव, विजय सेन शर्मा, प्रमोद नेताम, सोनल नेताम, आलेख सिदार, जेआर मंडावी, जीआर पैकरा, जीएस नुरुटी, देवलाल वैध और मृतक अशोक सिंह को आरोपी बनाया गया है। इसमें से 8 अधिकारी रिटायर हो गए हैं, जबकि 21 अभी नौकरी पर हैं, जिन्हें सरकार ने निलंबित कर दिया है। बतादें कि इस मामले में कई नेता-अफसर जेल में हैं।

(संबंधित खबर सिटी फ्रंट पेज पर)